संख्याः 1335/VII-1/88–उद्योग/2006

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 23 मार्च, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1840/VII-1/88–उद्योग/2006 दिनांक 29 मई 2006 व संख्या 4272/VII-1/88–उद्योग/2006 दिनांक 14 नवम्बर, 2006 के क्रम में आपके पत्र संख्या 5234/बजट–08/05/उ0मित्र/ 2006–07 दिनांकः 20 मार्च, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 22–पीएमआरवाई प्लस योजना से संलग्न बी0एम0–15 के अन्तर्गत बचत को कॉलम–5 में उल्लिखित सुसंगत मद हेतु रू0 10,00,000/–(रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचत से व्यावर्तन द्वारा धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– व्यय गोपन अनुभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2007 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2007 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

5– उपरोक्त धनराशि आपके निस्तारण पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि का राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास सलाहकार समिति के पक्ष में उनके आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (क्रमशः), 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग (क्रमशः) के अन्तर्गत संलग्नक बी0एम0–15 के कॉलम–5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 2303/XXVII(2)/2007 दिनांक 22 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1335(1)/VII-1/88–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

आयोजनागत से आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग हेतु 2006–07

अनुदान संख्या–23

प्रशासनिक विभाग–औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग–00–आयोजनागत 102–लघु उद्योग 22–पीएमआरवाई प्लस योजना —00 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता——12500	74	3926	8500 (-)	2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (कमशः)–00–आयोजनागत 102–लघु उद्योग (कमशः) 19–राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता —00 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता——1000	3400	11500
योग–– 12500	74	3926	8500	1000	3400	11500

(प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।)

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, नियर स्टेट बैंक, इन्दानगर, देहरादून।

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव (वित्त)।

संख्याः 1335/VII-1/88–उद्योग/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2– वित्त अनुभाग–2
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।